



जनपद शामली पुलिस



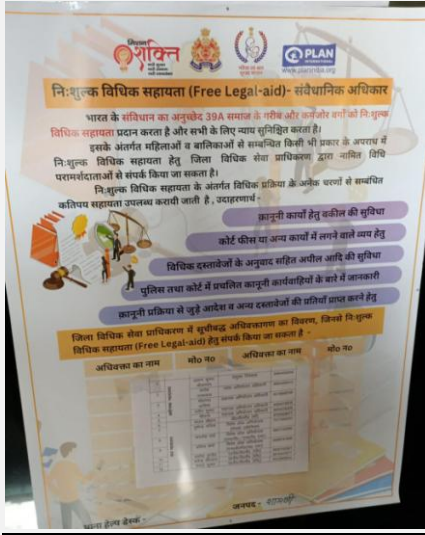
--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.02.2024

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन जनपद इकाई शामली द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के नियंत्रण, अनुश्रवण तथा जन-जागरुकता सम्बन्धी कार्यों का संचालन हेतु फ्री लीगल एड हेतु सर्वसामान्य की सूचनात्मक पोस्टर पर तैयार कर अनावरण किया गया:-

आज दिनांक 22.02.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शामली के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन जनपद इकाई शामली द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के नियंत्रण, अनुश्रवण तथा जन-जागरुकता सम्बन्धी कार्यों का संचालन हेतु फ्री लीगल एड हेतु सर्वसामान्य की सूचनात्मक पोस्टर पर पूर्ण विवरण तैयार किया गया। जिसे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, शामली श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा थाना आदर्शमण्डी में महिला हेल्प डेस्क पर चस्पा कर शुभारम्भ किया गया। इसी क्रम में जनपद के सभी थानों पर चस्पा किया गया, जिसके अन्तर्गत फ्री लीगल एड सर्वसामान्य की सूचनात्मक पोस्टर गरीब व असहाय वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद:-

दिनांक 21.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.रवि पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 60/2008 धारा 398/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मेरठ।
- 2.मु0अ0स0 62/2008 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना जीआरपी जनपद मेरठ।
- 3.मु0अ0स0 39/2008 धारा 379/411/भादवि थाना गजियाबाद जनपद गाजिबाद।
- 4.मु0अ0स0 231/10 धारा 395/397/412 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 5.मु0अ0स0 232/10 धारा 395/397/427/412 भादवि थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 6.मु0अ0स0 49/2016 धारा 393/332/353/186/भादवि थाना जीआरपी रेवाडी हरियाणा।
- 7.मु0अ0स0 300/2018 धारा 147/148/149/307/353/392 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 8.मु0अ0स0 399/2019 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 9.मु0अ0स0 49/23 धारा 174 ए भादवि थाना रेवाडी हरियाणा।
- 10.मु0अ0स0 69/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरी0 श्री सुदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

है0का0 देवेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त कार्यवाही में 02 मादक पदार्थ तस्करी को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 किलो 20 ग्राम चरस (कीमत करीब 05 लाख रुपये), दो मोबाइल फोन व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद ।

आज दिनांक 22.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस व सर्विलांस सैल शामली की संयुक्त कार्यवाही में 02 मादक पदार्थ तस्करी को 10 किलो 20 ग्राम चरस, दो मोबाइल फोन व तस्करी में प्रयुक्त 01 कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि उपरोक्त बरामद चरस को हम अपने साथी सखावत पुत्र जुल्फान निवासी माल्हीपुर थाना कांधला जनपद शामली के साथ मिलकर शिवकुमार उर्फ सतीश निवासी नानपारा जनपद बहराइच से खरीद कर लाये थे। सखावत उपरोक्त पूर्व से ही जेल में निरुद्ध है। आज हम लोग चरस को हरियाणा में जाकर बेचने की फिराक में थे और तभी हमें पुलिस ने पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. गुफरान पुत्र मुला माजिद निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
2. भूरा उर्फ अब्दुल वाजिद पुत्र उस्मान निवासी ग्राम खेड़ीकरमू थाना कोतवाली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुफरान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0-26/19 धारा 147, 149, 224, 225, 332, 353 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0-244/2019 धारा 323, 336, 50, 4, 506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 758/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 किलो 20 ग्राम चरस (कीमत करीब 05 लाख रुपये)।
2. एंड्रॉयड 02 मोबाइल फोन (ओप्पो कम्पनी)
3. तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नम्बर-DL1CAG-8033।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कसाना थाना कैराना जनपद शामली।
2. प्रभारी उ0नि0 श्री फतेह सिंह सर्विलांस सैल जनपद शामली।
3. उ0नि0 विनोद कुमीर थाना कैराना जनपद शामली।
4. है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
5. का0 मोहित सांगवान सर्विलांस सैल जनपद शामली।
6. है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
7. है0का0 कुलवंत सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
8. का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
9. का0 अनिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
10. का0 मनीष कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
11. का0 सुशील कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा 7000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

वर्ष 1996 में अभियुक्तगण 1.महबूब उर्फ सुल्ताना पुत्र वशीर निवासी ग्राम परसौली थाना कांधला जनपद शामली 2.लुकमान पुत्र सरदार निवासी ग्राम परसौली थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 05/1996 धारा 147,323,324 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.02.2024 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 147,323 भादवि में 1000-1000/-रुपये अर्थदण्ड व धारा 324 भादवि में 1500-1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.महबूब उर्फ सुल्ताना पुत्र वशीर निवासी ग्राम परसौली थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.लुकमान पुत्र सरदार निवासी ग्राम परसौली थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI